14-3.24 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, विपक्षी संख्या 1, 2, 4 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वकील प्रार्थिया विपक्षी संख्या 3 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। विपक्षीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। वकील प्रार्थिया ने बहस करनी चाही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.04.24 13:20:23 IST
Reason: SelfAttested

CS CamScanner

ारीख
क्रम

हुक्म या कार्यवाही मय इंनिशयल्स जज

वकील प्रार्थिया की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थिया ने प्रा॰ पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थिया की बहस पर मनन किया। न्यायहित मे वकील प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.04.24 13:20:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

CamScanner

राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – मनोज, आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या– 205/23 प्रा०पत्र
1– श्रीमती कृष्णा w/o श्री शंभूलाल स्वर्णकार निवासी माण्डल तहसील-माण्डल
– प्रार्थी

बनाम

1– श्री गोपाल s/o श्री मूलचन्द तड़वा निवासी- माण्डल तहसील-माण्डल (बागेरा)
(मुद्रांकित प्रा.पत्र संलग्न) – विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111– 128 रा.भू. रा. अधि. 1956

दिनांक :– 14.03.24

:: आदेश ::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा. भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ......कीर खेड़ा...... पटवार हल्का ......संतोकपुरा...... तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न0 ......8748...... कुल किता ......01...... रकबा 0.2909 ...... हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मृतदायिवा के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिनर सीमा संबधी विवाद उत्पन्ना होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / सयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ......29.12.23...... को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से आधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा. भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ......कीरखेड़ा...... पटवार हल्का ......संतोकपुरा...... तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न0 ......8748...... कुल किता ......01...... रकबा ......0.2909...... हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक ......मेजा...... को ......500...... रूपये /– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी मै मोके व कब्जे की यस्थास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.04.24 13:20:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा ... जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिर्पोट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

CS CamScanner